

श्रृंखला न्यायालय चंदेरी न्यायालय:-प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
अशोकनगर (म.प्र.)

समक्ष-आनन्द प्रिय राहुल

सत्र प्रकरण क्रमांक 148/2015

संस्थित दिनांक 20.10.2015

म.प्र. राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र चन्देरी,
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

..... **अभियोगी।**

बनाम्

1. मोहनलाल पुत्र भगुनसिंह कोली,
निवासी- पसियापुरा चंदेरी, थाना
चंदेरी, जिला- अशोकनगर (म.प्र.)
2. मांगीलाल पुत्र मोहनलाल कोली,
निवासी- पसियापुरा चंदेरी, थाना
चंदेरी, जिला- अशोकनगर (म.प्र.)
3. राजकुमारी पत्नी जनक किशोर कोली,
निवासी- पसियापुरा चंदेरी, थाना
चंदेरी, जिला- अशोकनगर (म.प्र.)
4. श्रीमती सुनीताबाई पत्नी मांगीलाल
कोली, निवासी- पसियापुरा चंदेरी,
थाना चंदेरी, जिला- अशोकनगर (म.प्र.)

.....
अभियुक्तगण।

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अशोकनगर के आपराधिक प्रकरण
क्रमांक 123/2015 में पारित उपार्षण आदेश दिनांक 9.10.2015 से उद्भूत यह
सत्र प्रकरण।

अभियोजन की ओर से :- श्री एम.एस.राजपूत, अतिरिक्त लोक अभियोजक।
अभियुक्तगण की ओर से :- श्री अंशुल श्रीवास्तव, अधिवक्ता।

::आदेश ::

(अंतर्गत धारा 232 दं.प्र.सं.)

(आज दिनांक 31.08.2016 को पारित किया गया।)

1. पुलिस थाना चंदेरी से आधा किलोमीटर दक्षिण दिशा में पसियापुरा
चंदेरी में फरियादी के मकान के सामने दिनांक 05.10.2014 को सात तीस बजे
के लगभग पसियापुरा स्थित फरियादी के मकान के सामने नीलू, प्रीति, आदि

को उपहति कारित करने हेतु सामान्य आशय विरचित किया, उसी के अग्रसरण में सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर नीलू कोहली, प्रीती कोली, श्री जमुना प्रसाद, श्रीमती छोटीबाई एवं रवि कोली को स्वेच्छया को उपहति कारित कर, श्रीमती प्रीति को गर्भवती होने से का गर्भपात करने के लिए सामान्य आशय विरचित किया और उसी के अग्रसरण में सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर उसके पेट पर डंडा एवं लात-घूसों से प्रहार किया, जिससे कारित चोटो के कारण उसका गर्भपात हुआ। धारा 323/34, 313/34 भा.द.वि. के अपराध कारित किए जाने का आरोप है।

2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि, प्रकरण में आरोपीगण को राजीनामा के आलोक में भा.द.वि. की धारा 323/34, (6काउंट) के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है तथा धारा 313/34 भा.द.वि. के आरोप का निराकरण किया जा रहा है।

3. अभियोजन का मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, दिनांक 5.10.14 के सात तीस बजे फरियादी के मकान के सामने पसियापुरा चंदेरी में फरियादिया टट्टी करने जा रही थी तब देख लिया था। बोली कि टट्टी करने का आरोप हमारे ऊपर लगाती है और स्वयं अपने खड़ेरा में टट्टी कर रही है। सबेरे यह बात शाम के करीब सात तीस बजे जब फरियादी व उसकी बड़ी भाभी प्रीति, छोटी भाभी ज्योति मंदिर से भंडारा खाके जाने के लिए नीचे उतरे की घर के सामने राजकुमारी, सुनीता, दोनों सबेरे तुम क्या कह रही थी। वह बोली तुम्हारी अम्मा टट्टी पर चिकचिक करती है और आरोप हमारे ऊपर लगाती है तब राजकुमारी, सुनीता उसकी बड़ी भाभी प्रीति जिसके पेट में तीन-चार माह का बच्चा है, उसे पटक कर दोनों लात-घूसों से मारपीट करने लगे वह व उसकी छोटी भाभी बीच बचाव करने लगे तो, मोहनलाल व उसके लडका मांगीलाल लाठी लेकर आ गए और मां-बहिन की बुरी बुरी गालियां देने लगे और लाठी व लात-घूसों से मारपीट करने लगे। वह चिल्लाने लगे तो उसके पिता जमनाप्रसाद मां छोटीबाई, भाई रवि व किशन कोली आ गए। बीच बचाव किया। जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना चंदेरी में की गई जिस पर से अपराध क्रमांक 435/14 धारा 451, 294, 323/34 भा.द.वि. के तहत अपराध

पंजीबद्ध किया गया व विवेचना के दौरान धारा 313 भादवि का इजाफा किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी के न्यायालय में दिनांक 3.7.2015 को प्रस्तुत किया गया। दिनांक 9.10.15 को उपार्पण आदेश पारित किया जाकर प्रकरण माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय अशोकनगर के न्यायालय को उपार्पित किया गया। आदेश दिनांक 21.10.2015 को प्रकरण विधिवत निराकरण हेतु न्यायालय को प्राप्त हुआ।

4. रखे गये आरोपों को सभी आरोपीगण ने तत्समय अस्वीकार किया था व विचारण चाहा गया।

5. इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह हैं कि:

(1) क्या दिनांक 5.10.14 को शाम के सात तीस बजे या उसके लगभग पसियापुरा चंदेरी स्थित जमुना प्रसाद कोली के मकान के सामने श्रीमती प्रीति जो गर्भवती थी, का गर्भपात कारित करने के सामान्य आशय बनाया और उसी के अग्रसरण में उसके पेट पर डंडा एवं लात-घूसों से प्रहार किया, जिससे कारित चोटों के कारण उसका गर्भपात हुआ था?

निष्कर्ष के आधार

6. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क में निवेदन किया कि, अभियुक्तगण द्वारा फरियादी प्रीति को पेट पर डंडा एवं लात-घूसों से प्रहार करके कोई चोटे कारित नहीं की थी। प्रीति गर्भवती नहीं थी, चोटों के कारण उसका कोई गर्भपात नहीं हुआ था। प्रकरण में अभियुक्तगण को झूठा फसाया गया है। राजीनामा के प्रकाश में व अभियोजन साक्ष्य के अभाव में अभियुक्तगण को दोष मुक्त किया जावे।

7. अभियोजन की ओर से ए.जी.पी. श्री राजपूत ने निवेदन किया कि, राजीनामा के आलोक में अभिलेख पर आयी साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में अभियुक्तगण को दंडित किया जावे।

8. आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान ए.जी.पी. के तर्क श्रवण के पश्चात अभिलेख पर आयी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि, प्रीति, असा.1 ने अपने अभिकथन में बताया है कि आपस में लड़ाई होने लगी। जीने

पर से फिर कहा कि चबूतरे पर से उसका पैर फिसल गया था जिससे वह गिर गई थी और बेहोश हो गई थीं उसके परिवार के लोग उसे अस्पताल ले गए थे। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्तगण द्वारा उसके पेट पर लात-घूसों से उसकी कोई मारपीट नहीं की, वह गर्भवती थी इस तथ्य के बाबत कोई कथन में नहीं बताया है। इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित किया गया है। इस साक्षी ने अपने कूट परीक्षण में भी ऐसा कोई अभिकथन नहीं दिया है जिससे इस तथ्य की पुष्टि हुई हो कि वह जब वह तीन-चार माह का गर्भ था तब पेट व पेट पर लाठी-डंडो से प्रहार किए जाने से आयी चोटों के कारण गर्भपात हुआ था, के तथ्य की पुष्टि बाबत कोई अभिकथन नहीं दिया है। जिससे न्यायालय के मत में प्रीति असा.1 के अभिकथन से उपरोक्त विचारणीय प्रश्न की पुष्टि नहीं हुई है। जबकि विचारणीय प्रश्न की पुष्टि हेतु यह महत्वपूर्ण साक्षी थी।

9. अभियोजन साक्षी नीलू असा.2, श्रीमती छोटीबाई असा.3, रवि कोली असा.4, जमुना प्रसाद असा.5, ज्योति असा.6 ने अपने मुख्य परीक्षण में उपरोक्त विचारणीय प्रश्न की पुष्टि बाबत कोई अभिकथन नहीं दिया है। इन साक्षीगण को भी अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित किया गया है। इन साक्षीगण ने अपने कूट परीक्षण में भी उपरोक्त विचारणीय प्रश्न की पुष्टि बाबत कोई अभिकथन नहीं दिया है। इन अभियोजन साक्षीगण ने अपने कूट परीक्षण में यह भी अभिकथन दिया है कि प्रदर्श पी-1, पी-3, पी-4, पी-5, पी-6, पी-7 का ए से ए भाग का कथन पुलिस को नहीं दिया था।

10. अभियोजन साक्षी नीलू असा.2 ने अपने अभिकथन की कंडिका 4 के प्रारंभ में बताया है कि प्रदर्श पी-2 की रिपोर्ट उसने नहीं लिखाई थी, पिता ने लिखाई थी। जिससे स्पष्ट है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 इसके द्वारा लेखबद्ध करायी गयी थी इसकी भी पुष्टि अभियोजन की ओर से पेश की गई साक्ष्य से नहीं हुई है।

11. अतः अभियोजन साक्ष्य से उपरोक्त विचारणीय प्रश्न की पुष्टि नहीं हुई है।

12. अतः द.प्र.सं. की धारा 232 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

आरोपीगण को भा.दं.वि. की धारा 313/34 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

13. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक को खुले
न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया
गया।

(आनन्द प्रिय राहुल)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
अशोकनगर, श्रृंखला न्यायालय
चंदेरी म.प्र.

(आनन्द प्रिय राहुल)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
अशोकनगर, श्रृंखला न्यायालय
चंदेरी म.प्र.

प्रतिलिपि :— जिला दंडाधिकारी, जिला अशोकनगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(आनन्द प्रिय राहुल)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
अशोकनगर, म.प्र.